माननीय एम.एम कुमार और जियेंद्र चौहान, जे.जे. के समक्ष

अमित चिल्लर -याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य का हरयाणा और अन्य - *उत्तरदाता*

सी.डब्ल्यू.पी.नं. 2008 का 4717

18 अगस्त, 2008

संविधान का भारत, 1950 - कला. 226–पंजाब पुलिस नियम, 1934-आरएल. एल2.6(2)(सी)- सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति - पात्रता उस उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है – याचिकाकर्ता स्वयं घोषणा उसका तारीख का जन्म जैसा उल्लिखित में मैट्रिक प्रमाणपत्र - क्या जन्म प्रमाण पत्र इस उद्देश्य के लिए मान्य होगा जन्म तिथि _ ओवर मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र अलग-अलग तारीख दिखा रहा है जन्म का -* **अभिनिर्धारित,** ***नहीं-याचिकाकर्ता को इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती ढोना दो प्रमाण पत्र और दो का दावा अलग खजूर जन्मों की -याचिका बर्खास्त.

निर्धारित, *कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न स्थानों पर अपने मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में अपनी जन्मतिथि घोषित करने का लाभ उठाया होगा। विभिन्न स्थानों पर मैट्रिक प्रमाण पत्र में घोषित जन्मतिथि का उपयोग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि कई मामलों में यह देखा गया है कि लाभ प्राप्त करने के लिए जन्मतिथि को आगे बढ़ाया जाता है जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता का जन्म 27 फरवरी, 1995 को हुआ बताया गया है, जबकि मैट्रिक प्रमाण पत्र में*

याचिकाकर्ता ने अपनी जन्मतिथि 17 फरवरी, 1986 घोषित की है। यह देखें कि याचिकाकर्ता एक युवा व्यक्ति है जिसके पास कई अन्य अवसर उपलब्ध हैं और इसलिए उसे कोई अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है क्योंकि सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए उसकी उम्र अधिक नहीं होगी।

(पैरा 12)

दीपक बालियान, श्री। जय वीर यादव, और एसएस दीनारपुर, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए.

हरीश राठी, सीनियर डी.ए.जी. हरयाणा

एम.एम कुमार , जे।

(1) यह आदेश सी.डब्ल्यू.पी. का निपटान करेगा। 2008 के क्रमांक 4717, 2008 के 4727, 2008 के 4866 और 2008 के 14403 को तथ्यों और कानून के सामान्य प्रश्न के रूप में उठाया गया है।

(2) इन सभी याचिकाओं में उठाया गया मूल मुद्दा यह है कि क्या 7 सितंबर, 2007 के विज्ञापन (अनुलग्नक पी-6) के साथ-साथ नियम 12.6 के अनुसार पुलिस उप-निरीक्षक के पद के लिए उम्मीदवार की जन्मतिथि की आवश्यकता है। 2) (सी) पंजाब पुलिस नियम 1934 (जैसा कि हरियाणा पर लागू होता है) (संक्षिप्तता के लिए 'नियम') संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। एक सहायक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि क्या रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि के

प्रयोजन के लिए अलग-अलग जन्म तिथि दिखाने वाले मैट्रिक प्रमाण पत्र पर मान्य होगा।

(3) सुविधा के लिए, तथ्यों को 2008 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4717 से संदर्भित किया जा रहा है जिसका शीर्षक अमित छिल्लर बनाम हरियाणा राज्य और अन्य है। उप-निरीक्षक के पद को भरने के लिए, प्रतिवादी नंबर 2 हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (संक्षिप्तता के लिए 'एचएसएससी') ने 7 सितंबर, 2007 को एक विज्ञापन जारी कर पुलिस उप-निरीक्षक (पुरुष) के 100 पदों सहित विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। वर्ग)। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर, 2007 थी। विज्ञापन में निर्धारित सब-इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार थी: -

(ए) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

(बी) मैट्रिक मानक तक हिंदी/संस्कृत का ज्ञान

(सी) शारीरिक मानक:

(i) ऊंचाई 5-8"

(ii) चेस्ट 44 1.1/2 के विस्तार के साथ।

(4) कई अन्य शर्तें निर्धारित की गई थीं लेकिन उम्र के संबंध में प्रासंगिक शर्त इस प्रकार है:-

आयु: 1 फरवरी, 2007 को 21 वर्ष से कम नहीं और 27 वर्ष से अधिक नहीं। एससी/एसटी, बीसी और ईएसएम उम्मीदवारों के मामले में, समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। हालाँकि, ईएसएम उम्मीदवारों के लिए सेना से छुट्टी की

तारीख और पुलिस विभाग में सेवा में शामिल होने की तारीख के बीच 2 साल से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

(5) उपर्युक्त शर्त को नियमावली के नियम 12.6(2)(सी) के आधार पर विज्ञापन में शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता ने एच.एस.एस.सी. में आवेदन किया। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पहले. उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया, जो 24 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम 28 फरवरी, 2008 को समाचार पत्र में घोषित किया गया था और याचिकाकर्ता का नाम योग्य उम्मीदवारों में शामिल था (अनुलग्नक पी-3)। परिणाम सभी उम्मीदवारों की पात्रता के निर्धारण के अधीन अनंतिम था। 12 मार्च, 2008 को, एच.एस.एस.सी.-प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को एक पत्र जारी कर उसे इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया कि 1 जनवरी, 2007 को उसकी आयु विज्ञापन की शर्तों के अनुसार 21 वर्ष से कम थी। याचिकाकर्ता को एच.एस.एस.सी. से संपर्क करने के लिए कहा गया था। 1 फरवरी, 2007 को अपनी पात्रता का बचाव करने के लिए व्यक्तिगत रूप से तीन दिनों के भीतर (अनुलग्नक पी-4)। याचिकाकर्ता एच.एस.एस.सी. के समक्ष उपस्थित हुआ। और अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु, झज्जर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, जो विधिवत प्राप्त हुआ था। यह दावा किया गया था कि रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र में घोषित याचिकाकर्ता की जन्मतिथि निर्णायक

प्रमाण है और वही मान्य होगी (अनुलग्नक पी-5)। हालाँकि, याचिकाकर्ता को शारीरिक परीक्षण के लिए कोई कॉल लेटर नहीं भेजा गया, जो 24 मार्च, 2008 और 25 मार्च, 2008 को आयोजित किया जाना था।

(6) उत्तरदाताओं द्वारा दायर संयुक्त लिखित बयान में नियमों के नियम 12.6 (2) (सी) पर भरोसा रखा गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने एक अधियाचन भेजा है| एच.एस.एस.सी. पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु। आगे बताया गया है कि विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार, कटऑफ तिथि पर याचिकाकर्ता की उम्र कम है। उत्तरदाताओं ने यह भी दावा किया है कि रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु के कार्यालय से प्राप्त बाद के दस्तावेज़ से तथ्यात्मक स्थिति नहीं बदलेगी क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी जन्मतिथि 17 फरवरी, 1986 बताई है, जो मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र के अनुसार है। याचिकाकर्ता ऐसे प्रमाणपत्र से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, जिसे आवेदन पत्र के साथ कभी भी संलग्न नहीं किया गया था।

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री जयवीर यादव, श्री एस.एस. दीनारपुर और श्री दीपक बलियान ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को पात्र माना जाना चाहिए क्योंकि उसकी जन्म तिथि 21 वर्ष से कम नहीं मानी जा सकती है। विद्वान वकील के अनुसार नियमों के नियम 12.6 (2) (सी) की भाषा यह नहीं बताती है कि जिस वर्ष चयन होना है, उस वर्ष फरवरी में उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि नियम

वास्तव में यह प्रावधान करता है कि एक उम्मीदवार की आयु "अगले पूर्ववर्ती" वर्ष फरवरी में 21 वर्ष होनी चाहिए जिसमें चयन किया गया है। विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु द्वारा दी गई जन्म तिथि बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि सहित किसी भी अन्य जन्म तिथि से अधिक होगी।

(8) हालांकि, राज्य के विद्वान वकील श्री राठी ने तर्क दिया है कि उम्मीदवारों द्वारा मैट्रिक प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाना चाहिए क्योंकि दो प्रमाण पत्र दिखाना उम्मीदवारों का विवेक नहीं है। दो अलग-अलग जन्मतिथि. विद्वान राज्य वकील के अनुसार, रोक का सिद्धांत याचिकाकर्ता के खिलाफ लागू होगा और उन्हें आवेदन पत्र में उनके द्वारा घोषित जन्म तिथि के अनुसार ही रखा जाना चाहिए। विद्वान राज्य वकील श्री राठी ने आगे तर्क दिया है कि नियमों के नियम 12.6 (2) (सी) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि उम्मीदवार को अगले वर्ष फरवरी के 1 दिन तक 21 वर्ष का होना आवश्यक है। आवेदन जमा करने की तिथि. विद्वान राज्य वकील के अनुसार, नियम की व्याख्या विज्ञापन के आलोक में की जानी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि उम्मीदवार की आयु 1 फरवरी, 2007 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(9) पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी देर तक सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, हमारा मानना है कि इस याचिका में योग्यता नहीं है और इस प्रकार यह

खारिज किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता ने 7 सितंबर, 2007 के विज्ञापन को देखने के बाद जन्मतिथि के संबंध में शर्त को समझा कि उसकी आयु 1 फरवरी, 2007 को 21 वर्ष होनी चाहिए। यह शर्त प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू की गई है। पद के लिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां तक 1 फरवरी, 2007 को 21 वर्ष की न्यूनतम आयु का संबंध है, उन सभी को एक समान माना गया है। नियमों का नियम 12.6 (2)(सी) किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है, जो इस प्रकार है:-

> (सी) "लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आवेदन जमा करने की तारीख से 'अगली फरवरी' के पहले दिन या उससे पहले उसकी आयु 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर का पद।"

(10) उपर्युक्त नियम के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदन जमा करने की तारीख से अगली 1 फरवरी को उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त नियम को विज्ञापन में विशेष रूप से यह कहते हुए स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवार की आयु 1 फरवरी, 2007 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यदि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई व्याख्या को अपनाया जाता है, तो इसके परिणाम भयावह होंगे। . 21 साल से कम उम्र का व्यक्ति आवेदन कर सकेगा, हालांकि नियुक्ति उसी साल या विज्ञापन के एक या दो महीने बाद भी हो सकती है। इसी प्रकार, 30 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति, जो कि नियमों द्वारा निर्धारित अधिकतम

आयु है, आवेदन कर सकेगा, लेकिन नियुक्ति के समय उसकी आयु 30 से अधिक हो सकती है। ऐसी व्याख्या अंतर्निहित विरोधाभास से भरी है और नियमों के इरादे का उल्लंघन करेगी। . इसलिए, विद्वान वकील द्वारा सुझाए गए नियम का प्रस्तावित निर्माण हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए, हम मानते हैं कि नियम 12.6 (2) (सी) की सही व्याख्या पर, न्यूनतम आयु 21 वर्ष 1 फरवरी, 2007 की तारीख को होनी चाहिए। अन्यथा भी, पात्रता को दी गई तारीख के अनुसार तय किया जाना चाहिए विज्ञापन में. विज्ञापन के अवलोकन में आयु के संबंध में स्पष्ट रूप से 1 फरवरी, 2007 का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य (1) और डॉ. एम.वी. नायर बनाम यूनियन ऑफ इंडियाएं और अन्य (2) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए, रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की यह दलील कि रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु द्वारा जारी प्रमाण पत्र को जन्मतिथि के प्रयोजनों के लिए बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र पर लागू होना चाहिए, ने भी हमें प्रभावित नहीं किया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्वयं घोषित किया है आवेदन पत्र में उनकी जन्म तिथि 17 फरवरी, 1986 है। हालाँकि, उन्होंने बाद में रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है, जिसमें उनकी जन्म तिथि 27 फरवरी, 1985 दिखाई गई है। याचिकाकर्ता

को काफी समय पहले मैट्रिकुलेशन जारी किया जा चुका है। लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार इसे सही कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। याचिकाकर्ता को दो प्रमाणपत्र ले जाने और दो अलग-अलग जन्म तिथियों का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिनका उपयोग उसकी सुविधा के अनुसार विभिन्न अवसरों पर किया जा सकता है। इस तरह के आचरण से अन्यायपूर्ण परिणाम होंगे और न्यायालय ऐसे आचरण को मंजूरी नहीं दे सकते। इसलिए, रोक का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होगा जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम सी. राम स्वामी (3) मामले में माना है। पैरा-25 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने निम्नानुसार कहा है:-

> 25. सेवा में नियुक्ति से संबंधित मामलों में चयन या नियुक्ति करने से पहले विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। प्रासंगिक परिस्थितियों में से एक उस व्यक्ति की उम्र है जिसे नियुक्त किया जाना है। यह निर्णायक रूप से साबित करना संभव नहीं हो सकता है कि जन्मतिथि का प्रतिनिधित्व करके लाभ प्राप्त किया गया था जो कि बाद में शामिल की गई जन्मतिथि से भिन्न है। लेकिन यह मान लेना अनुचित नहीं होगा कि जब कोई उम्मीदवार, पहली बार में, एक विशेष जन्मतिथि बताता है तो जाहिर तौर पर उसका इरादा होता है कि उस जन्मतिथि के आधार पर गणना की गई

उसकी आयु को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक जिम्मेदार पद के लिए उसकी उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए। वास्तव में, जहां उपयुक्तता का आकलन करने के लिए परिपक्वता एक प्रासंगिक कारक है, एक वृद्ध व्यक्ति को आमतौर पर अधिक परिपक्व माना जाता है और इसलिए, वह अधिक उपयुक्त होता है। ऐसे मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को पिछली जन्मतिथि के कारण लाभ नहीं मिला है, यदि वह लाभ लेने के बाद बाद में उम्र में छोटा होने का दावा करता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित व्यक्ति को लंबे समय तक लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे बदलाव की अनुमति देना सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा। ऐसा होने पर, हमें इस व्यापक प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि रोक का सिद्धांत ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जहां जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है उसकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए उसकी उम्र एक प्रासंगिक विचार हो सकती है।

(12) जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को पश्चाताप मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न स्थानों पर अपने मैट्रिक प्रमाण पत्र में अपनी जन्मतिथि घोषित करने का लाभ उठाया होगा। . विभिन्न स्थानों पर मैट्रिक प्रमाण पत्र में घोषित जन्मतिथि का उपयोग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि कई मामलों में यह

देखा गया है कि लाभ प्राप्त करने के लिए जन्मतिथि को आगे बढ़ाया जाता है जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता का जन्म 27 फरवरी, 1985 को हुआ है, जबकि मैट्रिक प्रमाण पत्र में याचिकाकर्ता ने अपनी जन्मतिथि 17 फरवरी, 1986 घोषित की है। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता एक युवा व्यक्ति है और उसके सामने कई अन्य अवसर उपलब्ध हैं और इसलिए उसे कोई अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है क्योंकि सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए उसकी उम्र अधिक नहीं होगी।

(13) इसके अलावा, इसी तरह का एक मामला 2008 के सी.डब्ल्यू.आर. संख्या 14048 में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, जिसका फैसला 8 अगस्त, 2008 को हुआ था (रीना बनाम एच.एस.एस.सी.)। हमने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी है कि न्यायिक कानून स्वीकार्य नहीं है।'

(14) उपर्युक्त कारणों से, ये याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और इन्हें खारिज कर दिया जाता है।

आर.एन.आर.

(1) 1993 अनुपूरक(3)एससीसी 168

(2) (1993) 2 एस.सी.सी. 429

(3) (1997)4 एस.सी.सी. 647

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy